

This amendment will take effect from 1st day of October, 2009. Accordingly, existing approvals expiring on or after 1st October, 2009 shall be deemed to have been extended in perpetuity unless specifically withdrawn. However, in case of approvals expiring before 1st October, 2009, these will have to be renewed and once renewed these shall continue to be valid in perpetuity, unless specifically withdrawn. (Clause 33)

कार्यालय, आय कर निदेशक (छूट) छठी मंजिल, पीरामल चैम्बर्स, लालबाग मुंबई ४०००१२.

आदेश संख्या : आ.नि.(छू)/मु.न./८०-जी/1592/2007/2008-09

निर्धारित का नाम और पता	:	CHEMBUR COLONY YUVAK MANDAL 64/65, Collector's Colony, Chembur, Mumbai 400 074.
12A रजिस्ट्रेशन सं.	:	TR/6844 dated 14/12/1979
आवेदन की तारीख	:	16/01/2008
स्था.ले.सं	:	AAA TC 0303 J
आदेश की तारीख	:	05/05/2008

आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र (01/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध)

(प्रारंभिक/नवीकरण)

मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अवलोकन/आवेदक के मामले की सुनवाई के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था ने आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी के अन्तर्गत उपधारा (५) के की शर्तों को पूरा किया है. निम्नांकित किसी शर्त की अवज्ञा दुरुपयोग कमी या उल्लंघन की स्थिति में कानून के अनुसार ये सुविधाएँ दाता संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेंगी. संस्था को ८०-जी की यह छूट निम्न शर्तों पर दी जाती है

- i) संस्था अपनी लेखा पुस्तकें नियमित रूप से बनाए रखेगी और उनका परीक्षण आयकर अधिनियम की धारा ८०-जी (5) (iv) के अधीन - धारा १२ए (बी) - के अनुपालन के साथ करवायेगी.
- ii) दानदाताओं की दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित की जायेगी और उस पर यह स्पष्ट रूप से छपाया जायेगा कि यह प्रमाणपत्र कब तक वैध है.
- iii) न्यास/संस्था के विलेख (deed) में परिवर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जायेगा और इसकी सूचना इस कार्यालय को तत्काल दी जायेगी.
- iv) यदि संस्था धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा १२(ए), धारा १२ए(१)(बी) के अन्तर्गत पंजीकृत है अथवा संस्था ने धारा १०(२३), १०(२३सी)-(vi)(vi-ए) के अन्तर्गत मंजूरी प्राप्त कर ली है तो धारा ८०-जी(५)(i)(ए) के अधीन किसी व्यवसायिक गतिविधि चलाने के लिए संस्था को अलग से लेखा पुस्तकें रखनी होंगी. साथ ही ऐसी गतिविधि शुरू होने की तारीख के एक माह के भीतर उसकी सूचना इस कार्यालय को देनी होगी.
- v) धारा ८०-जी के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त दानराशि का किसी व्यवसाय हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग नहीं किया जायेगा
- vi) संस्था दानदाता को प्रमाणपत्र जारी करते समय ऊपर वर्णित प्रतिबद्धता का आदर करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि प्रमाणपत्र का दुरुपयोग या अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग न हो.
- vii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी गैर न्यासी प्रयोजन के लिए न्यास या सोसायटी या गैर-लाम-कंपनी द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही इसके उपयोग की कोशिश की जाएगी.
- viii) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में संस्था या उसकी निधि का उपयोग धारा ८०-जी (५)(iii) के अधीन निषिद्ध किसी विशेष धर्म या जाति या समुदाय के लाम के लिए नहीं किया जायेगा.
- ix) संस्था को न्यास या सोसायटी या गैर-लाम-कंपनी के प्रबंधक न्यासी या प्रबंधक के बारे में बताए और बताए गए देशों को पूरा करने के लिए न्यास या संस्था के क्रिया कलाप कहां किए जा रहे हैं या किए जाने की संभावना है इसकी सूचना इस कार्यालय एवं निर्धारण अधिकारी को देनी होगी.
- x) यदि नवीकरण के लिए कार्यालय से संपर्क नहीं किया गया हो तो आस्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जायेगा या किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा इस संबंध में इस कार्यालय को तुरंत सूचित किया जायेगा.
- xi) धार्मिक व्यय कुल आय के ५% से अधिक नहीं होगा. आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ८० जी के अन्तर्गत प्रमाणपत्र न्यास या संस्था की आय को अपने आप छूट नहीं देता.

प्रतिलिपि - १.) आवेदक २.) गार्ड फाईल



— ६० —
(आर. के. सिन्हा)
आयकर निदेशक (छूट), मुंबई.

(मनुलाल बैठा)
आयकर अधिकारी (तकनीकी), मुंबई.